

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015.

सं0 1/2015-औ.और प्र.नि.

सा0का0नि0.....(अ)- केद्रीय सरकार, औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) नियम, 1956 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 2/2003-औ.और प्र.नि., तारीख 1 मार्च, 2003 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा0का0नि0 159(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ (4) में, “बारह प्रतिशत मूल्यानुसार,” प्रविष्टि के स्थान पर, जहां-जहां वह आती है, “साढे बारह प्रतिशत मूल्यानुसार,” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि. सं. 159(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन, अधिसूचना सं. 1/2012--औ.और प्र.नि., तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा किया गया था, जो सा.का.नि 214(अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।